तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-9-2022	एकल–पीठ श्री खजान सिंह, सदस्य उपस्थितः श्री वैभव कृष्ण पारीक अधिवक्ता प्रार्थी। श्री खुर्शीद अनवर उप–राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी। श्री सुमित जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ——— <u>आदेश</u> यह नजरसानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के विरूद्ध राजस्व मण्डल की एकलपीठ के माननीय सदस्य श्री बी.एल.मीणा द्वारा अपील संख्या 235 / 2003 उनवानी मदनदास बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09–3–2006 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– माननीय सदस्य श्री बी.एल.मीणा के सेवानिवृत हो जाने के कारण यह नजरसानी इस एकलपीठ के समक्ष पेश हुई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का आराजी खसरा नंबर 5587 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 5588 रकबा 18 बिस्वा, 5589 रकबा 18 बिस्वा, 5590 रकबा 5 बिस्वा, 5591 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 5592 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 5593 रकबा 7 बिस्वा न्यायालय उपखंड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 2 माधवलाल ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 05–02–2002 को पक्षकार बनाने बाबत पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28–11–2002 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे एकलपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 09–03–2006 से खारिज कर दी गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण ने यह नजरसानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की है। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी–मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में जानराय जी उर्फ जानकीराम जी स्थान देह के मंदिर के नाम पर दर्ज नहीं है बल्कि जानकीराम जी स्थान देह के नाम दर्ज है, जो भूल से जानकीदास के बजाय जानकीराम जी स्थान देह के नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज हो गया है, जिसकी दुरूस्ती बाबत वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जो सही है। जब विवादित आराजी से संबंधित भूमि पर मंदिर है ही नहीं, तो कोठारी परिवार का मंदिर होने या उनके द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठित करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं है और न ही राधे–कृष्ण की मूर्तियां विराजमान होने का प्रश्न है, ना ही सेवा–पूजा का प्रश्न है। विवादित आराजी प्रारंभ से ही प्रार्थीगण के पिता भूरदास के नाम काबिल काश्त चली आ रही है तथा भूरदास ही खातेदार काश्तकार था। उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे में चली गई। उक्त भूमि पर कोठारी परिवार का कोई अधिकार नहीं रहा है तथा न ही वह भूमि मंदिर की भूमि रही है। अप्रार्थी संख्या 2 कोठारी परिवार का मुख्य व्यक्ति नहीं है अतः उसे प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। कोठारी परिवार में कौन–कौन सदस्य हैं एवं किसने अप्रार्थी संख्या 2 को प्रतिनिधि बनाया है, इसका भी अप्रार्थी संख्या 2 ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि को सार्वजनिक हित की भूमि माना है, जबकि भूमि सार्वजनिक हित की नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों को नजरदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर लिया, जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्व एकलपीठ के समक्ष रखा गया था किन्तु सभी तथ्यों को दरकिनार रखते हुए निगरानी को खारिज किया है कि जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से पूर्णतया साबित हो गया था कि अप्रार्थी सं0 2 अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में पक्षकार नहीं थे और न ही अप्रार्थीगण ने इस तथ्य को साबित किया था कि उनका विचाराधीन वाद में क्या हक व अधिकार है। अतः नजरसानी स्वीकार की जाकर पूर्व एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में 2006 एआईआर(एससी) 75, 2018 आरबीजे 426, 2007 आरआरडी 815 तथा 2005(1) डीएनजे (एससी) 31 न्यायिक दृष्टांत पेश किए। 4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने कथन में कहा कि विवादित आराजी जानकीराम मंदिर की जमीन है, जिसका अप्रार्थी संख्या 2 पुजारी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा मूर्ति मंदिर को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया। राज्य सरकार की ओर से जवाब में व रिकार्ड में मन्दिर लिखा हुआ है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को ही पक्षकार बनाया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में भी आराजी मुतनाजा जानकीराय स्थान देह लिखा हुआ है। मात्र पक्षकार बना देने से प्रकरण का निर्णय नहीं हो जाता है। नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, प्रकरण के गुणावगुण पर जाकर तथ्यों का रिव्यू नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत नजरसानी खारिज कर मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को यथावत रखा जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2004(11) आरबीजे 518, 2018 आरबीजे 343, 2021 आरबीजे 647, 2018 आरबीजे 30, 2020 आरबीजे 737, 2020 आबीजे 423, 2021 आरबीजे 504, 2018 आरबीजे 335 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। 5— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को को ध्यान में रखते हुए नजरसानी में उल्लेखित तथ्यों एवं पूर्व में पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया। 6— हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को को ध्यान में रखते हुए नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आक्षेपों एवं पूर्व में पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया। 7— हम मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का परीक्षण कर यह पाते हैं कि प्रार्थी द्वारा में उठाये गये प्रत्येक आक्षेप का एकलपीठ ने विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए अपना विधिसम्मत निष्कर्ष अंकित कर निगरानीको खारिज कर प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा है। प्रार्थी पक्ष द्वारा वर्तमान नजरसानी प्रार्थना पत्र में जो तथ्य व आधार पेश किय गये है वे सभी नजरसानी को स्वीकार करने हेतु सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। 8— यह भी उल्लेखित है कि नजरसानी बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the faceof the record) में अन्तर है। नजरसानी द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the faceof the record) को ही ठीक किया जा सकता है। 9— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही नजरसानी का आधार हो सकती है अन्यथा नहीं और ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 09—03—2006 गलत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(erroneous) है तो गलत निर्णय को भी नजरसानी का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। नजरसानी एक ओर अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल–पीठ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही नजरसानीधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है। 7– नजरसानी प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (खजान सिंह) सदस्य	